



मेयो क्लीनिक अस्पताल - एरजिनोा के लए वंतिीय सहायता नीति^८

Mayo Clinic Hospital, Phoenix, Arizona

आंतरकि राजस्व संहति 501 (आर) के अनुसरण में

नीति

मेयो क्लीनिक अस्पताल - एरजिनोा उस समुदाय को गुणवत्तापूरण स्वास्थ्य देखभाल सेवा तक पहुँच प्रदान करने के लए प्रतबिद्ध है जसिंको यह सेवा करता है जसिंको आरथकि परस्थितियों से ज़ज़र रहे मरीज भी शामलि है, और उनको जनिके लये आपातकालीन चकितिसा देखभाल और आवश्यक चकितिसकीय अस्पताल सेवाएँ प्राप्त करना सदिध हो गया है के लए वंतिीय सहायता प्रदान करता है। इस नीति को शर्तों के अनुसार वंतिीय सहायता उपलब्ध कराने के अलावा मेयो क्लीनिक अन्य सहायता प्रदान करता है जसिंको शामलि है उन सेवाओं के लये वंतिीय सहायता प्रदान करना जो कि अस्पताल में उपलब्ध नहीं है।

मेयो क्लीनिक अस्पताल - एरजिनोा भुगतान न करने की स्थिति में मेयो क्लीनिक के बलिगि और संग्रह नीति में वर्णन नियमों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर सकता है। इस नीति को एक मुफ्त प्रतबिद्धि www.mayoclinic.org/financialassistance पर जाकर या 1-844-217-9591, पर फोन करके 08:00 बजे सुबह से 17:00 बजे शाम प्रवतीय समय तक, सोमवार से शुक्रवार तक प्राप्त की जा सकती है।

मेयो क्लीनिक अस्पताल - एरजिनोा असाधारण संग्रह कार्यों में शामलि नहीं होंगा इससे पहले कि यह एक मरीज इस नीति के अधीन वंतिीय सहायता के लए पात्र है या नहीं यह निर्धारित करने के लए एक उचित प्रयास नहीं करता है।

उद्देश्य

यह नीति गैर-बीमति और कम-बीमति मरीजों के लए एक नष्टिकष और सुसंगत वधियों को स्थापति करने और यह सुनिश्चित करने के लए कार्य करती है कि ऐसे मरीज ही आपात स्थितियों और अन्य आवश्यक चकितिसकीय अस्पताल की देखभाल से संबंधित सेवा के लए वंतिीय सहायता के लये आवेदन करे और उस पर वचार हो। कृपया ध्यान दें कि मेयो क्लीनिक अस्पताल - एरजिनोा में सभी चकितिसा सेवाएँ इस नीति के अधीन सहायता के योग्य नहीं हैं। वंतिीय सहायता में घरेलू आय और सप्तत्ति के आधार पर मुफ्त या रियायती देखभाल शामलि है जसिका उल्लेख आवेदन प्रकरणों में किया जाना आवश्यक है। वंतिीय सहायता अस्पताल द्वारा प्रदान सेवाओं के सकल प्रभार के छूट पर आधारित है जसिंको मेयो क्लीनिक अस्पताल - एरजिनोा में वंतिीय सहायता के योग्य निर्धारित लोगों के लए 60% न्यूनतम छूट का प्रावधान किया गया है।

परभिषाएँ

Aआवेदक: मरीज या अन्य व्यक्ति जो वंतिीय सहायता चाहने वाले मरीज की देखभाल के भुगतान के लए जमिमेदार है।

आवेदन की अवधि: यह चकितिसा देखभाल प्रदान करने जाने की तथियों से शुरू होता है और पहले पोस्ट-डिसिचार्ज बलिगि स्टेटमेंट के 240 दनों या 30 दनों के बाद समाप्त होता है, जब अस्पताल या अधिकृत तृतीय पक्ष लिखित रूप में असाधारण वसूली कार्रवाई की लिखित सूचना दी जाती है जसिका अस्पताल आरंभ करने की योजना बना रहा है, जो कोई भी बाद में हो।

अप्राप्य क्रान्ति: उन व्यक्तियों को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने की लागत जो चकितिसा बलिंकों के सम्पूरण या कुछ भाग का भुगतान करने में सक्षम तो है, लेकिन तैयार नहीं है।

वंतिीय सहायता: इस नीति में वर्णित पात्रता के नियमों के आधार पर व्यक्तियों को मुफ्त या रियायती देखभाल प्रदान करने की लागत जो अस्पताल के मेडिकल बलि के संपूरण या एक भाग का भुगतान करने में आरथकि रूप से सक्षम नहीं है। मेयो क्लीनिक अस्पताल - एरजिनोा आवश्यक चकितिसकीय सेवाएँ प्रदान करने जाने से पहले या बाद में भुगतान करने में असमर्थता का निर्धारण कर सकता है।

सकल प्रभार: मरीजों को प्रदान चकितिसा देखभाल के लए पूरण स्थापति मूल्य।

आवश्यक चकितिसकीय देखभाल: एक बुद्धिमान चकितिसक कसी बीमारी, चोट, रोग को रोकने, नदिन करने, या इसके लक्षणों के उपचार के उद्देश्य से एक मरीज को स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ या उत्पाद इस तरीके से प्रदान करेगा जो कि:

- चकितिसा पद्धति के सामान्य रूप से स्वीकृत मानकों के अनुसार होगा;
- प्रकार, आवृत्ति, सीमा, स्थल और अवधि के मामले में चकितिसकयि रूप से उपयुक्त; और
- मुख्य रूप से स्वास्थ्य योजनाओं और करेताओं या रोगी की सुवधि के लए, उपचार करने वाले चकितिसक या अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के आरथकि लाभ के लए नहीं।

सवयं भुगतान शेष: सेवाओं की प्राप्ति के बाद सेवा प्रदाता या अस्पताल को देय राशि का भुगतान करने के लए और सभी अन्य भुगतान वकिल्प या प्रतिपूर्तिवधियों समाप्त हो जाती हैं।

इस नीति के अंतर्गत आने वाले प्रदाता

मेयो क्लीनिक अस्पताल - एरजिओना कैम्पस में देखभाल प्रदान करने वाले मेयो के साथ कार्यरत सभी चकितिसा प्रदाताओं को इस पॉलरिसी के अधीन कवर किया गया है।

मेयो क्लीनिक अस्पताल, फीनक्सि, एरजिओना में रोगियों की देखभाल करने के लिए अस्पताल की सुविधा के अलावा अनुबंधति या अन्यथा अधिकृत प्रदाताओं की एक सूची बनाई गई है, अस्पताल की सुविधा में आपातकालीन या अन्य चकितिसीय रूप से आवश्यक देखभाल प्रदान करते हुए, यह नरिदिष्ट करते हुए कि कौन से प्रदाता इस वित्तीय सहायता नीति द्वारा कवर किए गए हैं, वह सूची इस वित्तीय सहायता नीति से अलग रखी जाती है। जैसा कि प्रदाता सूची में नरिदिष्ट है, प्रदाता सूची केवल उस तर्थिके अनुसार लागू होती है जैसे दिन इसे बनाया गया था या अंतिम अद्यतन किया गया था। प्रदाता सूची 1-844-217-9591 पर कॉल करके, या www.mayoclinic.org/financialassistance पर ऑनलाइन भेट करके या कसी व्यावसायिक कार्यालय स्थान पर जाकर नशिल्क प्राप्त की जा सकती है:

- मेयो क्लीनिक - आउट पेशेट क्लीनिक, स्कॉट्सडेल कैम्पस
- मेयो क्लीनिक - स्पेशलिटी बिल्डिंग, फीनक्सि कैम्पस
- मेयो क्लीनिक अस्पताल, फीनक्सि, एरजिओना, 5777 पूर्व मेयो बुलेवार्ड, फीनक्सि, एरजिओना

वित्तीय सहायता के लिए पात्रता मानदंड

वित्तीय सहायता के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान आवेदक के पूरण सहयोग की आवश्यकता है, जिसमें शामिल हैं:

1. सभी उपलब्ध सहायता के लिए आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना, चकितिसा सहायता सहित या मेडिकिड, और एक हस्ताक्षरति प्राप्तिकरण और सेवा शर्तों का प्रत्यक्ष जो मेयो क्लीनिक अस्पताल को दावा प्रस्तुत करने की अनुमतिदेता है;
2. सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित वित्तीय सहायता आवेदन का समापन;
3. पछिले कर वर्ष के लिए संघीय नरिधनता दशिनरिदेश में वर्णनि नियमों के आलोक में वार्षिक घरेलू आय और परवार के आकार मानदंडों को पूरा करें; संघीय नरिधनता दशिनरिदेश के अनुसार 400% तक घरेलू आय वाले आवेदकों के लिए स्वयं भुगतेय शेष राशि के 60% का समायोजन; या संघीय नरिधनता दशिनरिदेश के अनुसार 200% के बराबर या इससे कम घरेलू आय वाले आवेदकों के लिए स्वयं भुगतेय शेष राशि के 100% का समायोजन; और
4. सभी उपलब्ध परसिंप्ततयों के आधार पर सेवाओं के लिए भुगतान करने में असमर्थता का प्रदर्शन।

मेयो क्लीनिक अस्पताल -एरजिओना उन व्यक्तियों को वित्तीय सहायता से इंकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जिन्हें स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्राप्त करना आवश्यक है परंतु जो ऐसा नहीं करते हैं, या जो लोग धार्मकि कारणों से बीमा कवरेज प्राप्त करना असंवीकार कर देते हैं, सरकारी सहायता योजना सहित। अनेकों आवेदकों को पता नहीं है कि वे सरकारी सहायता योजना के लिए योग्य हो सकते हैं या उन्होंने इस प्रकार की योजनाओं के लिए आवेदन नहीं किया है।

मेयो क्लीनिक अस्पताल एरजिओना एक सीमति अवधितिक कोबरा (सीओबीआरए) प्रीमियम का भुगतान करने पर वचिर कर सकता है यदि एक मरीज को अन्य रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त करने की स्वीकृतिदी जाएगी। यदि एक आवेदक कोबरा (सीओबीआरए) प्रीमियम के भुगतान के लिए सभी आवश्यक प्रक्रियाओं और दस्तावेजों के बारे में मेयो क्लीनिक अस्पताल- एरजिओना के साथ सहयोग करने में असफल रहता है, तो मेयो क्लीनिक अस्पताल- एरजिओना वित्तीय सहायता से इंकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

मेयो क्लीनिक अस्पताल-एरजिओना बीमा कंपनियों और अन्य तृतीय पक्ष दाताओं से राशि एकत्र करने के लिए हर संभव प्रयास करता है।

नई खोज से प्राप्त सूचनाओं जैसे बीमा कवरेज या आवेदक को भुगतान, प्रश्नगत सेवा से सम्बंधित व्यक्तियों के लिए दावा प्राप्त करने की कोशशि करना, आदि के परणिमस्वरूप, मेयो क्लीनिक अस्पताल -एरजिओना वित्तीय सहायता को वापस लेने और उसके के लिए उपयुक्त प्रतिपूरितया संग्रह का अधिकार सुरक्षित रखता है। वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के बाद मेयो क्लीनिक अस्पताल - एरजिओना द्वारा प्राप्त सभी भुगतान के परणिमस्वरूप समायोजित राशियों का व्युत्कर्म शुरू होगा ताकि भुगतेय शेष राशि (बैलेंस) या एक क्रेडिट बैलेंस का नरिमाण किए बनि बाकी बचे स्वयं-भुगतेय राशि को समायोजित किया जा सके।

आपातकालीन वभिग में देखभाल प्राप्त कर रहा वित्तीय संसाधन-वहीन मरीज वित्तीय सहायता का पात्र हो सकता है यदि वह बेरोजगार है या उसका कोई स्थायी पता या बीमा कवरेज नहीं है। आवश्यक आवेदन दस्तावेजीकरण तक पहुँच के बनि जरूरतमंद मरीज अभी भी वित्तीय सहायता का पात्र हो सकता है।

सेवा-पूर्व वित्तीय सहायता के लिए योग्य मरीजों को एक उनके स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवश्यक दीर्घकालिक देखभाल प्रदान करने या बनाए रखने की क्षमता का प्रदर्शन करना होगा जैसा कि उनकी प्रारंभिक स्थिति से संपर्श होता है या उनकी देखभाल टीम का नरिदेश होता है।

वित्तीय सहायता प्रदान करने के कारण मेयो क्लीनिक अस्पताल - एरजिओना देखभाल जारी रखने के लिए बाध्य नहीं है; हालांकि मेयो क्लीनिक अस्पताल - एरजिओना अपने विकासीकार के आधार पर आवश्यक चकितिसीय सेवा और सहयोग जो अन्यतर उपलब्ध नहीं हैं, उसे नरितर उपलब्ध कराया जा सकता है। मरीजों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कम से कम प्रत्येक 180 दिनों के बाद फरि से आवेदन करना होगा।

मेयो क्लीनिक अस्पताल - एरजिओना और उसके सहयोगी संगठन मरीजों के लाभ और कई स्थानों पर देखे गए मरीजों के वित्तीय सहायता का प्रबंध करने में सुगमता के लिए मेयो क्लीनिक संबद्ध साइटों में मरीजों की वित्तीय सहायता के बारे में सूचनाओं को आपस में साझा कर सकते हैं। कोई सूचना मेयो क्लीनिक के बाहर साझा नहीं की जाएगी जब तक अधिकृत या कानून द्वारा ऐसा करना आवश्यक नहीं होता है।

वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने की वधि

वित्तीय सहायता की पेशकश या तो एक आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से या चकितिसा सहायता के लिए वर्तमान पात्रता के आधार पर या अन्य सरकारी आवश्यकता आधारित सहायता द्वारा की जाती है।

आवेदन प्रक्रिया

वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने वाले इच्छुक आवेदक या तो आवेदन फारम के लिए अनुरोध करें या निश्चिक आवेदन फारम डाउनलोड और प्रिंट कर उसे भरें। मेयो क्लीनिक अस्पताल - एरजिओना, अपूरण आवेदनों के आवेदकों को सूचित करेगा और आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों या निर्दिष्ट सूचनाओं को भरने के लिए निर्देश देगा जिसे 30 दिनों के अंदर प्रदान किया जाना चाहिए। यदि आवेदन पत्र आवेदन की अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो मेयो क्लीनिक अस्पताल - एरजिओना वित्तीय सहायता से इंकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

मेयो क्लीनिक अस्पताल एरजिओना रेवेन्यु साइकलिंग के करमचारी आवेदन की समीक्षा करेंगे और प्रदान किए जाने वाले वित्तीय सहायता का निर्धारण भी करेंगे। आवेदन की समीक्षा की प्रक्रिया में लगभग 30 दिनों का समय लगता है। वित्तीय सहायता के लिए एक बार निश्चिय लेने के बाद, आवेदक को लिए गए निश्चिय के बारे में सूचित करने के लिए एक पत्र भेजा जाएगा।

वित्तीय सहायता के लिए आवेदन पत्र निम्न वेबसाइट पर निश्चिक उपलब्ध है:

www.mayoclinic.org/financialassistance

आवेदन पत्र निम्नांकित पते से लिखित अनुरोध पर प्राप्त किया जा सकता है:

मेयो क्लीनिक अस्पताल - एरजिओना पेशेंट अकाउंट सर्वसिज

5777 ई. मेयो बीएलव्हीडी

फीनकिस, AZ 85054

आवेदन पत्र मेयो क्लीनिक अस्पताल - एरजिओना एडमिशन, बज़िनस, सर्वसि डेस्क लोकेशन और आपातकालीन विभाग में भी उपलब्ध हैं।

वित्तीय सहायता नीति और आवेदन सहायता निम्नांकित पर उपलब्ध है:

होम पेज से लॉग इन पेशेंट अकाउंट में जाकर और www.mayoclinic.org चयन कर पेशेंट पोर्टल को सुरक्षित करें।

आप 1-844-217-9591 कॉल कर सकते हैं या एक व्यापार कार्यालय स्थान पर जा सकते हैं:

मेयो क्लीनिक - आउट पेशेंट कलनिकि, स्कॉट्सडेल कैम्पस

मेयो क्लीनिक - स्पेशलिटी बिल्डिंग, फीनकिस कैम्पस

मेयो क्लीनिक हॉस्पिटल - एरजिओना, 5777 पूर्व मेयो बुलेवार्ड, फीनकिस, एजेंड

मरीजों से वसूल किए वाले शुल्कों की गणना के लिए आधार

सभी मरीजों को सकल वसूल किए जाने राशि के अनुसार बलि भेजा जाता है; हालांकि वित्तीय सहायता के लिए पात्र मरीज का सवयं भुगतान शेष, समान देखभाल के अंतर्गत कवर किए गए हैं, उन लोगों के लिए आम तौर पर बलि की राशि (एजीबी) तक सीमित है। प्रसंस्ति सकल प्रभार द्वारा सेवा और वाणिज्यिक और नज़ीर स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के लिए चकितिसा शुल्क द्वारा अनुमत राशि को विभाजित करते हुए मेयो क्लीनिक अस्पताल - एरजिओना एजीबी की गणना करने के लिए एक वापस देखने की वाईका उपयोग करता है। वह राशि जिसके मरीज द्वारा अपनी जेब से भुगतान की अपेक्षा की जाती है वह सकल प्रभार के एजीबी प्रतिशत तक सीमित रहता है यदि मरीज को वित्तीय सहायता के लिए योग्य पाया जाता है। बीमा भुगतान और मरीज या आवेदक को भुगतान का संयोजन एजीबी से अधिक हो सकता है।

मेयो क्लीनिक अस्पताल - एरजिओना एजीबी के बारे में आप या तो 1-844-217-9591 फोन करके या हमारी वेबसाइट से निश्चिक प्राप्त कर सकते हैं या मेयो क्लीनिक अस्पताल एरजिओना एजीबी और हमारी वेबसाइट पर एजीबी गणना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

आपातकालीन सेवाएं

मेयो क्लीनिक अस्पताल - एरजिओना भुगतान करने की क्षमता पर ध्यान दिए बनिए और आपातकालीन चकितिसा उपचार और शर्म अधिनियम (ईएमटीएलए) के अनुपालन में, मरीजों की स्थितिको स्थिरि करने के लिए चकितिसा स्कॉरनिंग जाँच और आपातकालीन देखभाल प्रदान करता है। मेयो क्लीनिक अस्पताल - एरजिओना ऐसे कसी भी कार्रवाई पर रोक लगता है जो लोगों को आपातकालीन चकितिसा देखभाल की मांग करने से हतोत्साहित करता है और आपातकालीन विभाग में ऋण वसूली का कार्य नहीं करता है।

समान अवसर

मेयो क्लीनिक अस्पताल - एरजिओना अनेकों संघीय और राज्य कानूनों का अनुपालन करने के लिए प्रतिबिधि है, जो जाति, लगि, आयु, धरम, राष्ट्रीय उत्पत्ति, वैवाहिक स्थिति, यौन अभिनियास, वकिलांग, सैन्य सेवा या संघीय, राज्य या स्थानीय कानूनों के द्वारा संरक्षित कसी अन्य वर्गीकरण के आधार पर भेदभाव को प्रतिबिधित करता है।

गोपनीयता

मेयो क्लीनिक अस्पताल - एरजिओना अनेकों संघीय और राज्य कानूनों का अनुपालन करने के लिए प्रतिबिधि है, जो जाति, लगि, आयु, धरम, सहयोगी संगठन नज़ीर चकितिसा, स्वास्थ्य और वित्तीय सहायता को प्रबंधन के लिए एचआईपीए आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।